प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/IDSP/दि0 नि0/7/2013–14/9506-75 दिनांक: 03/9/13

विषय : इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम हेतु जनपदों में वर्ष 2013–14 की प्रथम छमाही (माह अप्रैल से सितम्बर 2013) हेतु मदवार जनपदवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2013–14 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–ई के अन्तर्गत रू0 889.62 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, जिसको व्यय करने की स्वीकृति राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बैठक दिनांक 20.06.2013 में प्राप्त की जा चुकी है। उक्त बैठक की कार्यवृत्त अभी तक अपेक्षित है।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के अनुरोध के कम में इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा कर्मियों के मानदेय एवं विभिन्न गतिविधियों हेतु जनपदों में वर्ष 2013–14 की प्रथम छमाही (माह अप्रैल से सितम्बर 2013) हेतु मदवार जनपदवार धनराशि रू0 148.02697 लाख की धनराशि निम्नलिखित सारिणी के अनुरूप जिलों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है–

(Amount in Rs)

SN	Name of District	Remuneration Form Contractual Human Resource				Training				
		Microbiologist (Rs. 27500-44000) E.2.2	Epidemiologist (Rs. 27500-44000) E.2.1	Data Manager (Rs. 18000 per Mth) E.3.2	Data Entry Operator (Rs. 11000/mth) E.3.3	Medical Officers (3 days) - Rs 50000 / Batch, for one batch. E.8	Operational Costs (Rs. 25000/- per Month) including 10 Medical Colleges. E1	Proposed amount to be released for 1st Installment	Uncommitted Balance	Total amount being released to districts
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Agra	-	207900	108000	66000	50000	150000	**581900**	154533	427367
2	Aligarh	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	35491	288509
3	Allahabad	-	178200	-	-	-	150000	**328200**	285848	42352
4	Ambedkar Nagar	-	-	-	-	-	-	**0**	720930	0
5	Auraiya	-	165000	108000	-	50000	150000	**473000**	164128	308872
6	Azamgarh	-	181500	108000	66000	50000	150000	**555500**	147900	407600
7	Badaun	-	214500	108000	66000	-	150000	**538500**	-106757	645257
8	Baghpat	-	-	-	-	-	-	**0**	582818	0
9	Bahraich	-	201300	108000	66000	-	150000	**525300**	111435	413865
10	Ballia	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	350497	0
11	Balrampur	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	29302	186698
12	Banda	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	192893	65107
13	Barabanki	-	214500	108000	66000	-	150000	**538500**	248621	289879

---2

14	Bareilly	-	207900	108000	-	-	150000	**465900**	27020	438880
15	Basti	-	191400	108000	66000	-	150000	**515400**	190616	324784
16	St. Ravidas Nagar	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	234007	0
17	Bijnor	-	184800	108000	-	-	150000	**442800**	199197	243603
18	Bulandshahar	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	239371	84629
19	Chandauli	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	37859	286141
20	C S M Nagar	-	-	-	-	-	-	**0**	0	0
21	Chitrakoot	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	158981	99019
22	Deoria	-	171600	108000	-	-	150000	**429600**	148072	281528
23	Etah	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	192028	23972
24	Etawah	-	-	-	132000	-	150000	**282000**	174487	107513
25	Faizabad	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	361064	0
26	Farrukhabad	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	284703	39297
27	Fatehpur	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	354283	0
28	Ferozabad	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	138124	185876
29	GB Nagar	-	-	-	-	-	-	**0**	723853	0
30	Ghaziabad	396000	-	108000	-	-	150000	**654000**	216507	437493
31	Ghazipur	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	161571	54429
32	Gonda	-	168300	108000	66000	-	150000	**492300**	8006	484294
33	Gorakhpur	-	221100	108000	132000	50000	150000	**661100**	60371	600729
34	Hamirpur	-	250800	108000	66000	-	150000	**574800**	227700	347100
35	Hardoi	-	214500	108000	66000	-	150000	**538500**	151936	386564
36	Hathras	-	207900	-	66000	-	150000	**423900**	167080	256820
37	Jalaun	-	184800	108000	66000	-	150000	**508800**	-48769	557569
38	Jaunpur	-	-	-	-	-	-	**0**	384923	0
39	Jhansi	-	174900	108000	132000	50000	150000	**614900**	580315	34585
40	JP Nagar	-	264000	108000	66000	-	150000	**588000**	145474	442526
41	Kannauj	-	198000	-	-	-	150000	**348000**	332653	15347
42	Kanpur (Dehat)	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	223785	100215
43	Kanpur (Nagar)	-	191400	108000	66000	50000	150000	**565400**	-77700	643100
44	Kanshi Ram Ngr	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	308235	0
45	Kaushambi	-	174900	-	66000	-	150000	**390900**	200235	190665
46	Kushinagar	-	234300	108000	66000	50000	150000	**608300**	112327	495973
47	Lakhimpur Khiri	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	231520	92480
48	Lalitpur	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	380014	0
49	Lucknow	-	188100	108000	-	-	150000	**446100**	218265	227835
50	Maharajganj	-	171600	-	66000	50000	150000	**437600**	90476	347124
51	Mahoba	-	198000	108000	66000	-	150000	**522000**	-455	522455
52	Mainpuri	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	142201	115799
53	Mathura	-	-	-	-	-	-	**0**	402000	0
54	Mau	-	198000	-	-	-	150000	**348000**	249820	98180
55	Meerut	-	244200	108000	132000	-	150000	**634200**	91605	542595
56	Mirzapur	-	181500	-	-	-	150000	**331500**	242786	88714
57	Moradabad	-	188100	108000	-	-	150000	**446100**	155912	290188
58	Muzzafarnagar	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	246709	77291
59	Pilibhit	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	334813	0
60	Pratapgarh	-	191400	-	66000	50000	150000	**457400**	386627	70773
61	Raebareilly	-	217800	108000	66000		150000	**541800**	200121	341679
62	Rampur	-	-	-	-	-	-	**0**	93936	0
63	Saharanpur	-	-	108000	66000		150000	**324000**	261541	62459
64	Sant Kabir Nagar	-	168300	108000	66000	-	150000	**492300**	156161	336139
65	Shahjahanpur	-	178200	108000	-	-	150000	**436200**	295700	140500
66	Shrawasti	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	161415	96585

67	Siddharthanagar	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	468358	0
68	Sitapur	-	-	108000	-	-	150000	**258000**	207003	50997
69	Sonbhadra	-	-	-	66000	-	150000	**216000**	273142	0
70	Sultanpur	-	-	108000	66000	-	150000	**324000**	150708	173292
71	Unnao	-	198000	108000	-	50000	150000	**506000**	101095	404905
72	Varanasi	-	191400	108000	132000	-	150000	**581400**	96850	484550
73	(Sambhal	-	-	-	-	-	-	**0**	0	0
74	Shamli	-	-	-	-	-	-	**0**	0	0
75	Hapur	-	-	-	-	-	-	**0**	0	0
Total		**396000**	**7118100**	**5292000**	**3168000**	**500000**	**9750000**	**26224100**	**15174276**	**14802697**

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग एवं कार्यक्रम कियान्वंयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. स्टाफ मानदेय (E.2):–

अ–एपिडेमियोलाजिस्टः–

भारत सरकार द्वारा हर जनपद मे एक एपिडेमियोलाजिस्ट, संविदा पर सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के पत्र संख्या–टी018015/02/2009–आई0डी0एस0पी0 दिनांक–06.03.2012 के अनुसार इनकी कार्यावधि को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मार्च 2014 तक विस्तारित/नवीनीकरण किया जा चुका है। इनके कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट को स्टेट/डिस्ट्रिक्ट हैल्थ सोसायटी के द्वारा भरा जाना है। इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। इस मानदेय भुगतान को ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से वहन करेगी।

ब– माईक्रोबायोलाजिस्टः–

भारत सरकार द्वारा गाजियाबाद एवं लखनऊ मे डिस्ट्रिक्ट चिकित्सालय की लैब मे प्रायोरिटी लैब चिन्हित करते हुए, माईक्रोबायोलाजिस्ट सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था है। इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। इस मानदेय भुगतान को ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से वहन करेगी।

स–डाटा मैनेजरः–

भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद मे एक डाटा मैनेजर, संविदा पर सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के पत्र संख्या–टी018015/02/2009–आई0डी0एस0पी0 दिनांक 06.03.2012 के अनुसार इनकी कार्यवधि को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मार्च 2014 तक विस्तारित किया जा चुका है। इनके कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट को स्टेट/डिस्ट्रिक्ट हैल्थ सोसायटी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के उपलब्ध दिशा–निर्देशों के अनुसार भरा जाना है। इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा रू0 18,000/– प्रतिमाह निर्धारित किया जा चुका है। इस मानदेय भुगतान को ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से वहन करेगी।

द–डाटा एन्ट्री आपरेटरः–

हर जनपद मे एक डाटा एन्ट्री आपरेटर, संविदा पर सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के पत्र संख्या टी018015/02/2009–आई0डी0एस0पी0 दिनांक–06.03.2012 के अनुसार इनकी कार्यवधि को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मार्च 2014 तक विस्तारित किया जा चुका है। इनके कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट को स्टेट/डिस्ट्रिक्ट हैल्थ सोसायटी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के उपलब्ध दिशा–निर्देशों के अनुसार भरा जाना है। इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा रू0 11,000/– प्रतिमाह

---4

निर्धारित किया जा चुका है। इस मानदेय भुगतान को ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से वहन करेगी।

जिन जनपदो मे उपरोक्त पद रिक्त है उन जनपदों के रिक्त पदों की अद्यतन सूचना प्राप्त कर इन पदों पर संविदा के आधार पर सेवायोजित करने के दिशा–निर्देश अलग से उपलब्ध कराये जायेंगे तथा तद्नुसार इनके वेतन के भुगतान के लिये धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जायेगी।

2. आपरेशनल कास्ट (E.1):–

अ–मोबिलिटी सपोर्ट:–

जनपदों में फील्ड विज़िट/आउट ब्रेक की स्थिति मे आई0डी0एस0पी0 यूनिट के भ्रमण हेतु रू0 12000.00/– प्रतिमाह की धनराशि निर्धारित है। इस राशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया पूर्ण करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

ब– कार्यालय हेतु–

कार्यालय के उपयोगार्थ आने वाले सामग्री हेतु प्रति जनपद रूपया 8000/– प्रतिमाह निर्धारित है, जिसका उपयोग आई0डी0एस0पी0 यूनिट की आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

स–जांच नमूनों के संग्रह एवं प्रेषण हेतु :–

जनपद मे किसी भी स्थान पर रोगों के प्रसार की दशा मे आई0डी0एस0पी0 टीम द्वारा जांच नमूने संग्रहित करने तथा उन्हे उपयुक्त लैब मे प्रेषित करने मे होने वाले व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति जनपद रूपया 1000/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इस मद में उपलब्ध धनराशि से जाँच नमूनों को कोरियर सेवा द्वारा भी प्रयोगशालाओं को प्रेषित करने का व्यय एवं इससे सम्बन्धित भ्रमण के लिये अधिकारी/कर्मचारी के यात्रा व्यय (टी0ए0/डी0ए0) के भुगतान प्रदेश सरकार के निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

द– एनालिसीस एण्ड यूज़ ऑफ डाटा –

1– फार्म प्रिन्टिंग हेतु:–

- **फार्म एस0** तीन कॉपियों मे छपवाकर सभी सब सेन्टर्स को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से तथा आयुष पद्धति के चिकित्सको एवं चिकित्सालयों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से उपलब्ध करायें। सब सेन्टर की रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आयुष पद्धति के चिकित्सको एवं चिकित्सालयों की रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा एकत्रित कराकर प्रत्येक शनिवार को प्रभारी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को उपलब्ध कराये।
- **फार्म पी0** दो कापियों मे छपवाकर सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/अति0प्रा0स्वा0केन्द्र तथा चिकित्सालयों को उपलब्ध करायें, यही फार्म अन्य ऐलापैथिक, सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- **फार्म एल0** ब्लाक पी0एच0सी0 लैब, सी0एच0सी0 लैब अति0प्रा0स्वा0केन्द्र तथा ज़िला चिकित्सालयों की लैब, अन्य निजी चिकित्सालयों की लैब को उपलब्ध करायें।

फार्म प्रिन्टिंग हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति जनपद रू0 18000/– प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के नियामानुसार, ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध धनराशि से वहन करेगी।

---5

य– इन्टरनेट कनेक्शनः–

प्रत्येक जनपद के इन्टरनेट कनेक्शन (ब्राडबैण्ड कनेक्शन), मे होने वाले व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 2500/– प्रति माह प्रति जनपद के लिये निर्धारित है, जिससे ब्राडबैण्ड/अन्य इन्टरनेट व्यय का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। इस धनराशि का व्यय ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध धनराशि से वहन करेगी।

आउटब्रेक इनवेस्टिगेशन तथा जनपद मे संक्रामक रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रस्तुतिकरण मे भारत सरकार द्वारा सेवायोजित एपिडेमोलाजिस्ट की सेवाओं का पूरा उपयोग किया जाये।

राज्य मुख्यालय स्तर पर रु0 50,000.00/–प्रतिमाह की दर से फील्ड विजिट, ऑफिस एक्सपेन्स, ब्रॉड बैण्ड एक्सपेन्स एवं अन्य व्यय हेतु आवंटित की जा रही है। इस राशि का व्यय आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध बजट से नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर किया जायेगा।

अपने अपने जनपद मे आई0डी0एस0पी0 के स्टाफ के रिक्त स्थानों की सूचना स्टेट सर्विलेन्स यूनिट मे अविलम्ब भेजे। प्रति जनपद निम्न पद स्वीकृत हैं–

1. एपिडेमियोलाजिस्टः– 1 प्रति जनपद (मानदेय भारत सरकार द्वारा रु0 27,500 – 44,000 तक के स्तर पर विभिन्न मानकोंनुसार निर्धारित)
2. माइक्रोबायोलाजिस्टः– 1 जनपद गाज़ियाबाद एवं 1 जनपद लखनऊ मे (मानदेय भारत सरकार द्वारा रु0 27,500 – 44,000 तक के स्तर पर विभिन्न मानकोंनुसार निर्धारित)
3. डाटा मैनेजरः– 1 प्रति जनपद (मानदेय रू0 18000 प्रति माह)
4. डाटा एन्ट्री आपरेटर 1 प्रति जनपद (मानदेय रू0 11000 प्रति माह)

3. प्रशिक्षण (E.8):–

चिकित्सकों का प्रशिक्षण – इस मद में जनपद आगरा, औरैया, आजमगढ़, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, प्रतापगढ़ एवं उन्नाव के चिकित्सकों को तीन दिवसीय एपिडेमियोलॉजिकल पारिस्थिकीय में रोगों का निदान एवं विभिन्न विद्यमान कारकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय स्तर पर सम्पादित कराने के लिये रु0 50,000.00/– प्रति जनपद (उक्त वर्णित जनपदों) हेतु अवमुक्त किये जा रहे हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण के बैच में 25 चिकित्सक प्रतिभागी होंगे एवं इस राशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध बजट से नियमानुसार किया जायेगा।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण – चिकित्साधिकारियों हेतु

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	दर प्रतिदिन (रु0 में)		कुल यात्रा भत्ता 3 दिन	कुल दैनिक भत्ता 3 दिन	कुल व्यय
			यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता			
1	प्रशिक्षक	3	100	300	900	2700	3600
2	प्रशिक्षार्थी	25	100	200	7500	15000	22500
3	जलपान एवं स्वल्पाहार (25 प्रशिक्षार्थी + 5 अन्य)	30	200 प्रतिदिन (वर्किंग रिफ्रेशमेन्ट)	6000			18000
4	लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग मटेरियल	25	100 प्रति प्रशिक्षार्थी	2500			2500
5	आयोजन स्थल का खर्च एवं कन्टेन्जेन्सी						3400
कुल योग							50000

मेडिकल कालेज के चिकित्सकों का प्रशिक्षण – इस मद में जनपद आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी के मेडिकल कालेज के चिकित्सकों को एक दिवसीय एपिडेमियोलॉजिकल पारिस्थिकीय में रोगों का निदान एवं विभिन्न विद्यमान कारकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय स्तर पर सम्पादित कराने के लिये रु0 50,000.00/– प्रति जनपद (उक्त

— — 6

वर्णित जनपदों) हेतु अवमुक्त किये जा रहे हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण के बैच में 25 चिकित्सक प्रतिभागी होंगे एवं इस राशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध बजट से नियमानुसार किया जायेगा।

एक दिवसीय प्रशिक्षण – मेडिकल कालेज चिकित्साधिकारियों हेतु							
क्र0सं0	पदनाम	संख्या	दर प्रतिदिन (रु0 में)		कुल यात्रा भत्ता 3 दिन	कुल दैनिक भत्ता 3 दिन	कुल व्यय
			यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता			
1	प्रशिक्षक	5	400	600	2000	3000	5000
2	प्रशिक्षार्थी	30	300	600	9000	18000	27000
3	जलपान एवं स्वल्पाहार (30 प्रशिक्षार्थी + 5 अन्य)	35	250 प्रतिदिन (वर्किंग रिफ्रेशमेन्ट)	8750			8750
4	लेखन सामगी एवं प्रिंटिंग मटेरियल	30	200 प्रति प्रशिक्षार्थी	6000			6000
5	आयोजन स्थल का खर्च एवं कन्टेन्जेन्सी	3250					3250
कुल योग							50000

हॉस्पिटल फार्मासिस्ट/नर्सेज का प्रशिक्षण – इस मद में जनपद आगरा, औरैया, आजमगढ़, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, प्रतापगढ़ एवं उन्नाव के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट/नर्सेज को एक दिवसीय रोगियों एवं रोग से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव एवं सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय स्तर पर सम्पादित कराने के लिये रु0 38,000.00/– प्रति जनपद (उक्त वर्णित जनपदों) हेतु अवमुक्त किये जा रहे हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण के बैच में 25 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट/नर्सेज प्रतिभागी होंगे एवं इस राशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध बजट से नियमानुसार किया जायेगा।

एक दिवसीय प्रशिक्षण – हॉस्पिटल फार्मासिस्ट/नर्सेज हेतु							
क्र0सं0	पदनाम	संख्या	दर प्रतिदिन (रु0 में)		कुल यात्रा भत्ता 3 दिन	कुल दैनिक भत्ता 3 दिन	कुल व्यय
			यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता			
1	प्रशिक्षक	5	100	300	500	1500	2000
2	प्रशिक्षार्थी	40	100	300	4000	12000	16000
3	जलपान एवं स्वल्पाहार (40 प्रशिक्षार्थी + 5 अन्य)	45	300 प्रतिदिन (वर्किंग रिफ्रेशमेन्ट)	13500			13500
4	लेखन सामगी एवं प्रिंटिंग मटेरियल	40	100 प्रति प्रशिक्षार्थी	4000			4000
5	आयोजन स्थल का खर्च एवं कन्टेन्जेन्सी	2500					2500
कुल योग							38000

नोट– यात्रा भत्ता मद में अंकित धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण हेतु वास्तविक यात्रा करने पर ही किया जायेगा।

4. नवनिर्मित जनपद (E.8):–

इस मद में नवनिर्मित जनपद भीमनगर (सम्भल), प्रबुद्धनगर (शामली) एवं पंचशीलनगर (हापुड़) हेतु आई0डी0एस0पी0 यूनिट की स्थापना हेतु अनावर्तक मद में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरण व अन्य एसेसरीज हेतु रु0 3,50,000.00/– प्रति जनपद की दर से आवंटित किये गये हैं। इस धनराशि का व्यय ज़िला स्वास्थ्य समिति इस मद में उपलब्ध धनराशि से वहन करेगी।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. संविदा कर्मियों के मानदेय के मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि से मानदेय का भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनका मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2013–14 के लिए अनुबन्धित किया गया हो। मानदेय का भुगतान संविदा कर्मियों का वर्ष 2013–14 में अनुबन्धित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से उनके द्वारा किये गये सन्तोष जनक कार्य के आधार पर किया जाए।

---7

7. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम द्वारा पृथक से जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

8. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

26/8/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/IDSP/दि0 नि0/7/2012–13/2506-75-10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य, भारत सरकार, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

26/8/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक